फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर

छुट्टन वगै0 बनाम रहमति वगै0

संख्या : 107/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार ने रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02.06.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
02.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा 0.10है0 वाकै ग्राम आंधी के खातेदार काश्तकार है। एक राजस्व वाद सं0 263/2014 माननीय न्यायालय के समक्ष बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 12.11. 2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगणों के पक्ष में स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीगणों को पाबंद किया है कि वे खसरा नम्बर 355 की भूमि के उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को मजाहमत कारित ना करे और ना ही उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करें। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2017 को अंतिम रूप से डिक्री फरमा दिया गया जिसमें अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर 355 वाकै ग्राम आंधी की भूमि में दखल अंदाजी करने से प्रतिबंधित करते हुये निर्माण कार्य नही करने हेतु पाबन्द किया। यहॉ यह स्पष्ट करना भी समीचीन होगा कि खसरा नम्बर 354 की भूमि में हस्तक्षेप करने से प्रार्थीगण को भी पाबंद किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 11.05.2017 व आदेश दिनांक 12.11.2014 की पालना सुनिश्चित करने हेतु व उक्त आदेश की पालना नही करने के लिये सभी अप्रार्थीगण को सिविल कारावास भेजे जाने की आज्ञा न्यायहित में सादर फरमावें। अतः वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्राम आंधी में स्थित खसरा नम्बर 355 रकबा 0.10है0 किस्म चाही ए प्रार्थीगण के नाम सह खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 354 रकबा 0.10है0 किस्म चाही ए रहमति पत्नि फकीर हिस्सा पूर्ण खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 355 मे अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 काबिज है जिसमे मौके पर चार कमरे, छप्पर, टीनसेट बना रखा है एवं रहने के उपयोग में ले रहे है। खसरा नम्बर 354 पर भी अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 का कब्जा है। जिसमें बलीता डालने व भैस बांधने का कार्य किया जा रहा है। अतः अवलोकन करने पर पाया कि रिपोर्ट में तहसीलदार ने यह कही भी अंकन नही किया कि अप्रार्थीगणों द्वारा कोई नवीन निर्माण/अतिकमण किया है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 94 सीपीसी को अवीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 94 सीपीसी को अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	